August 7, 2015

Press Release

Hon'ble Mr. Justice A.M. Ahmadi, former Chief Justice of India, to deliver A.M. Khwaja Memorial Lecture at Jamia

The Centre for Jawaharlal Nehru Studies in collaboration with Department of Economics, Jamia Millia Islamia (JMI) is going to organize first **A.M. Khwaja Memorial Lecture** on **"Imperatives of Our Valued Diversity"** by **Hon'ble Mr. Justice A.M. Ahmadi,** former Chief Justice of India.

Prof. Talat Ahmad, Vice-Chancellor, JMI shall preside over the programme.

Prof. Shahid Ahmed, Director, Centre for Jawaharlal Nehru Studies, JMI shall deliver **Inaugural Address** and **Prof. M.H. Qureshi**, Ex. A.M. Khwaja Chair Professor shall introduce the late Mr. A.M. Khwaja.

Mr. Rajen H. Khwaja shall present his reminiscences of A.M. Khwaja.

Beside the above programme, a book titled **"Abdul Majeed Khwaja: A Biographical Narrative"** compiled by **Prof. M.H. Qureshi** will also be released on this occasion.

The programme is scheduled to be held on **August 10, 2015** at **11.30 AM** in Mir Anis Room, Dayar-i Mir Taqi Mir, Administrative Block, JMI.

Abdul Majeed Khwaja was one of the founders of "National Muslim University" (now our very own **Jamia Millia Islamia**) founded at Aligarh in 1920. After the establishment of the National Muslim University he devoted his time in nursing the institution with Maulana Mohammad Ali Jauhar and subsequently took over as its Vice-Chancellor (1923-1925).

Abdul Majeed Khwaja was one of the ardent advocates of united India. He worked tirelessly and pleaded for the avoidance of partition of the country. He suffered indignation and abuse and could not succeed in his mission of having an undivided India. He withdrew from active politics, having given his best under the guidance of Mahatma Gandhi but was never oblivious to the happenings around him. He also served as Chancellor of Jamia Millia Islamia (1936-1962).

Hon'ble Mr. Justice A.M. Ahmadi started his judicial career as Judge of the City Civil and Sessions Court of Ahmedabad in March 1964. He was appointed Secretary-cum-Remembrancer of Legal Affairs, Government of Gujarat, in 1974, following which he was appointed Judge of the High Court of Gujarat in 1976. He has also been Chairman of various Advisory Boards and a Member of the Ravi & Beas Water Dispute Tribunal.

Justice Ahmadi was appointed Judge of the Supreme Court in December 1988. He became **Chief Justice of India** in 1974 and continued to serve in the position up until 1997.

Between 1994-1997, six Indian universities, including the University of Leicester, England, conferred on him the **Degree of Doctor of Laws (Honoris Causa).**

Those desirous of covering the event may kindly inform at 011-26980090 or e-mail mranjan@jmi.ac.in to enable us to provide smooth entry. Effort should be made on the part of the media persons (print/electronic/photo journalists) to reach the venue 30 minutes before the event to avoid last minute rush.

Co-Media Coordinator
Jamia Millia Islamia

7 अगस्त, 2015

प्रेस विज्ञप्ति

भारत के पूर्व चीफ़ जस्टिस, माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी, जामिया में ए.एम. ख़्वाजा मेमोरियल व्याख्यान देंगे

जवाहर लाल नेहरू अध्ययन केंद्र, अर्थशास्त्र विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जामिइ) के सहयोग से भारत के पूर्व चीफ जस्टिस, श्री न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी, द्वारा 'इंपरेटिव्स ऑफ आवर वेल्यूड डाइवर्सिटी' पर पहली बार ए.एम. ख़्वाजा मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन करने जा रहा है।

प्रो तलत अहमद, कुलपति, जामिइ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

प्रो. शाहिद अहमद, निदेशक, जवाहरलाल नेहरू अध्ययन केंद्र, जामिइ उद्घाटन भाषण देंगे और प्रो. एम.एफ. कुरैशी, पूर्व ए.एम. ख़्वाजा चेयर प्रोफ़ेसर स्वर्गीय ए.एम. ख़्वाजा के बारे में वक्तव्य देंगे।

श्री राजेन एच. ख़्वाजा ए.एम. ख़्वाजा से जुड़े अपने संस्मरण पेश करेंगे।

उपरोक्त कार्यक्रम के साथ ही इस अवसर पर प्रो. एम.एच. कुरेशी द्वारा संपादित 'अब्दुल मजीद ख़्वाजाः ए बायोग्रैफिकल नेरेटिव्स' का विमोचन किया जाएगा।

कार्यक्रम 10 अगस्त, 2015 को प्रातः 11.30 बजे मीर अनीस हॉल, दयार ए मीर तकी मीर, प्रशासनिक ब्लॉक, जामिइ में आयोजित होना निर्धारित है।

अब्दुल मजीद ख्वाजा 'राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय' (अब हमारा अपना जामिया मिल्लिया इस्लामिया) की 1920 में अलीगढ़ में स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक थे। राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद उन्होंने मौलाना मौहम्मद अली के साथ संस्था की खिदमत में अपना समय समर्पित कर दिया और बाद में इसके कुलपति के रूप में (1923–1925) तक पदभार संभाला।

अब्दुल मजीद ख़्वाजा अखंड भारत के प्रबल पैरोकार में से एक थे। उन्होंने अथक प्रयास किया है और देश के विभाजन के परिहार की वकालत की। उन्हें आक्रोश और दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ा और वह अविभाजित भारत के अपने मिशन में सफल नहीं हो सके। उन्होंने सक्रिय राजनीति से सन्यास ले लिया, उन्होंने महात्मा गाँधी के मार्गदर्शन में अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभाई और कभी भी अपने चारों ओर की घटनाओं से अन्जान नहीं रहे। उन्होंने कुलाधिपति (1936–1962) के रूप में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सेवा की।

माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी ने मार्च 1964 में सिटी सिविल के जज और अहमदाबाद के सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने न्यायिक कैरियर की शुरूआत की। उन्हें 1974 में, गुजरात सरकार के कानूनी मामलों का सचिव–सह–रिमेंबरेंस नियुक्त

किया गया। वह 1976 में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। बाद में वह विभिन्न सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष और रावी एवं ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण के सदस्य भी रहे।

न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी दिसंबर 1988 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। वह 1974 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए और 1997 तक उत्तरोतर स्थिति में सेवा करना जारी रखा।

1994–1997 के बीच छह भारतीय विश्वविद्यालयों सहित लीसेस्टर विश्वविद्यालय इंग्लैंड, ने उन्हें 'डॉक्टर ऑफ लॉज़' की डिग्री (मानद उपाधि) प्रदान की।

जो भी इस कार्यक्रम को कवर करने के इच्छुक हैं वे कृपया 011–26980090 पर संपर्क करें या ई–मेल mranjan@jmi.ac.in पर सूचित करें जिससे कि उन्हें कार्यक्रम स्थल पर सुविधापूर्वक प्रवेश मिल सके। मीडियाकर्मियों (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/फोटो पत्रकार) को कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम से 30 मिनट पूर्व पहुँचने का प्रयास करना चाहिए।

मीडिया सह–समन्वयक
जामिया मिल्लिया इस्लामिया